

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 440]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 13, 2004/वैशाख 23, 1926

No. 440]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 13, 2004/VAISAKHA 23, 1926

सड्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2004

का.जा. 571(ज).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.नि.आ. 1181, दिनांक 4 अप्रैल, 1957 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3
**4	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 3 (मुम्बई को राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4 पर जंक्शन से 561.0 किमी. से 585.0 किमी. को छोड़कर), सं. 6 (अमरावती बाईपास 149.80 किमी. सें 166.0 को छोड़कर) सं. 9, सं. 13, सं. 17 और सं. 69 के महाराष्ट्र राज्य के भीतर स्थित भाग और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 50 (12.190 किमी, सें 42.000 किमी. पूणे-नासिक सेक्शन को छोड़कर), सं. 204 और सं. 211	महाराष्ट्र राज्य सरकार'';

[फा. सं.-14012/2/2004-पी एंड एम]

इन्दु प्रकाश, महानिदेशक (सड़क विकास) और विशेष सचिव

पाद टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में का.नि.आ. 1181, तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन का.आ. 464(अ), तारीख 26 अप्रैल, 2002 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th May, 2004

S.O. 571(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the Notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Transport, number S.R.O. 1181, dated the 4th April, 1957, namely:—

In the said notification, in the Schedule, for serial number 4 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

1	2	3
" 4	So much of National Highways No. 3 (excluding from Km. 561.0 to Km 585.0 from Junction with NH-4 to Mumbai), No. 6 (excluding from Km. 149.80 to Km. 166.0 Amravati bypass), No. 9, No. 13, No. 17 and No. 69 as are situated within the State of Maharashtra and National Highways No. 50 (excluding from Km. 12.190 to Km. 42.000 Pune-Nasik Section), No. 204 and No. 211.	State Government of Maharashtra.";

[F. No. NH-14012/2/2004-P&M]

INDU PRAKASH, Director General (Road Development) and Spl. Secy.

Footnote: The Principal notification was published in the Gazette of India vide S.R.O. 1181, dated 4th April, 1957 and last amended vide S.O. No. 464(E) dated 26th April, 2002.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2004

का.आ. 572(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,सारणी के स्तम्भ (1) में यथावर्णित राष्ट्रीय राजमार्गों की उक्त सारणी स्तम्भ (2) के सामने यथा उल्लिखित तत्स्थानी खंड को उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में यथाविनिर्दिष्ट भूखंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है।

सारणी

राष्टीय राजमार्ग संख्या	खण्ड	भूखण्ड किलोमीटर में	
1	2	3	
50	पुणे-नासिक	12.190 से 42.000 कि.मी.	

[फा. सं. एन. एच.-14012/2/2004-पी एंड एम]

इन्दु प्रकाश, महानिदेशक (सड़क विकास) और विशेष सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th May, 2004

S.O. 572(E).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch as specified in column (3) of the Table of the corresponding Section as mentioned against it in column (2) of the said Table of the National Highways as described in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India.

TABLE

National Highway No.	Section	Stretch in Kilometer	
(1)	(2)	(3)	• .
50	Pune-Nasik	Km. 12.190 to Km. 42.000	

[F. No. NH-14012/2/2004-P&M]

INDU PRAKASH, Director General (Road Development) and Spl. Secy.